

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हाईंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email=mincorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संख्या:..... बी० एस० एम० एफ० सी०, / पटना दिनांक:

स्वीकृत्यादेश

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के ज्ञाप संख्या-909 दिनांक-11.04.2017 में वर्णित 15 ट्रेडों में रज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनानार्थ जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक-15.07.17 को चयनित आवेदकों में से निम्नाकित आवेदकों से प्रमण्डलीय प्रभारी द्वारा शिवहर जिला के ब्रुठीन कागजीकरण/दस्तावेज निष्पादित कराकर उनके द्वारा स्थल जाँच कर समर्पित किये गए स्थल जाँच प्रतिवेदन में ऋण राशि की स्वीकृति देने के लिए की गई अनुशंसा के आधार पर कुल 03 लाखुकों को उनके नाम के सामने ऑक्ट ट्रेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 2127 दिनांक 05.12.2018 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतेय के स्तरम् में दर्शाये गये राशि सीधे सञ्चित लाभुक के बैंक खाता में RTGS/NEFTA के माध्यम से अंतिरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :—

Sl. N	चयन संख्या क्रमांक	AppI_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
1.	5	MD SAJJAD ALAM, S/o- ABDUL QUDDUS, Vill.- KHARTHAA, PS-BELSAND, PO- BELHIYA, Distt.-SHEOHAR- 843316	A/c No.: 6160207317 IDIB000P027	FURNITURE DUKAN	400000	2000	398000
2.	9	MD ASLAM AZAD, S/o- MD ABU ZAFFAR, Vill.- KHORTHAA, Block-TARIYANI, PS-BELSAND, PO-BELHIYA, Distt.-SHEOHAR-843316	A/c No.: 33615196069 SBIN0014298	SHOE SHOP	300000	1500	298500
3.	14	MD SHAKEEL KHAN, S/o- LATE JABBAR KHAN, Vill.- MINAPUR BALHA, Block- PIPRAH, PS-PIPRAH, PO- MINAPUR BALHA, Distt.- SHEOHAR-843329	A/c No.: 20366194580 SBIN0014297	SHOE SHOP	300000	1500	298500
				TOTAL	1000000	5000	995000

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियाँ का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सुजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियाँ को भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान ऐमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

ह0/-

प्रबंध निदेशक
दिनांक: १३।१२।१८

प्रतिलिपि:- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पर्याधिकारी, शिवहर /सभी ऋणधारकों/ ऋण शाखा/ऋण शाखा (कम्प्यूटर सेल)/ लेखा शाखा / प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Parbaty Patna
प्रबंध निदेशक
दिनांक: १३।१२।१८